रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 726] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 1991/अग्रहायण 19, 1913
No. 726] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 1991/AGRAHAYANA 19, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1991

का. आ. 840 (अ) :—केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. का. आ. 437 (अ) तारीख 2 जून, 1990 द्वारा अन्तर्राज्यिक नदी कावेरी की बाबत जल विवाद का न्याय-निर्णयन करने के लिए कावेरी जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिकरण" कहा गया है) का गठन किया था;

और अधिकरण ने 25 जून, 1991 को 1990 की सिविल प्रकीर्ण अर्जी सं. 4, 5 और 9 में एक आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आदेश" कहा गया है) दिया था और उसे आवश्यक अग्रिम कार्रवाई के लिए केन्द्रीय सरकार को भेज दिया था;

और उक्त आदेश पर विचार किए जाने पर भारत के राष्ट्रपति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों पर विचार करने और उन पर रिपोर्ट देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के खंड (1) के अधीन 27 जुलाई, 1991 को भारत के उच्चतम न्यायालय को एक निर्देश किया था :—

(1) क्या अधिकरण का आदेश अधिनियम की धारा 5 (2) के अर्थान्तर्गत एक रिपोर्ट और विनिश्चय का गठन करता है; और

(2) क्या अधिकरण का आदेश उसे प्रभावी बनाए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाने के लिए अपेक्षित है;

और उच्चतम न्यायालय ने 22 नवम्बर, 1991 को अन्य बातों के साथ-साथ उपरोक्त प्रश्नों पर अपना यह मत दिया है कि :—

"(1) तारीख 25 जून, 1991 का अधिकरण का आदेश अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम,

1956 की धारा 5 (2) के अर्थान्तर्गत एक रिपोर्ट और विनिश्चय का गठन करता है, और

(2) अतः उक्त आदेश को प्रभावी बनाने के लिए उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है";

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश को प्रकाशित करती है।

1990 की सिविल प्रकीर्ण अर्जी सं. 4, 5 और 9 में कावेरी जल विवाद अधिकरण का आदेश।

निम्नलिखित के मामले में :

(तमिलनाडु , कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के बीच जल विवाद अर्थात् अन्तर्राज्यिक नदी कावेरी और उसकी नदी घाटी की बाबत विवाद)

5 जनवरी, 1991 को हमने तमिलनाडु सरकार द्वारा फाइल की गई 1990 की सि. प्र. अ. सं. 4 और 9 तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र द्वारा फाइल की गई 1990 की सि. प्र. अ. सं. 5 अन्य बातों के साथ-साथ इस दृष्टि से खारिज कर दी थी कि केन्द्रीय सरकार ने क्रमशः तमिलनाडु सरकार और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र द्वारा फाइल की गई उक्त सि. प्र. अर्जियों में प्रार्थित अंतरिम अनुतोषों के न्याय-निर्णयन के लिए अधिकरण को अभी तक कोई निर्देश नहीं किया है और इसलिए अंतरिम अनुतोषों के लिए उक्त अर्जियां चलने योग्य नहीं हैं।

उक्त आदेश से व्यथित होकर, तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष क्रमशः 1991 की सिविल अपील सं. 303-304 और 1991 की सिविल अपील सं. 2036 फाइल की थी। 26 अप्रैल, 1991 को न्यायपीठ ने जिसमें न्या. कासलीवाल, पुंछी और सहाय थे, उक्त अपीलें मंजूर कर लीं, तारीख 5 जनवरी, 1991 के हमारे आदेश को अपास्त कर दिया और यह निदेशित किया कि उक्त सि प्र. अ. सं. 4, 5 और 9/90 का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय किया जाए। न्या. कासलीवाल ने जिनके साथ न्या. पुंछी ने सहमति व्यक्त की, अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि तमिलनाडु, सरकार के 6-7-1986 के पत्र में, जिसे विद्वान न्यायाधीश ने उद्धृत किया था, आने वाले एक पैरा में शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। इससे यह दर्शित होता है कि तमिलनाडु राज्य "तुरंत राहत के लिए पुकार कर रही थी क्योंकि मेट्टूर में जल आपूर्ति वर्षानुवर्ष घटती जा रही थी"।

अतः, अधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में स्पष्ट रूप से गलत था कि केन्द्रीय सरकार ने किसी अंतरिम अनुतोष के लिए कोई निर्देश नहीं किया है। सि. प्र. अर्जी सं. 4, 5 और 9/90 में अपीलार्थियों द्वारा प्रार्थित अनुतोष स्पष्ट रूप से अधिनियम, (अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956) की धारा 5 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित विवादों की परिधि के अन्तर्गत आते हैं। न्या. कासलीवाल ने आगे यह और मत व्यक्त किया था कि उपरोक्त परिस्थितियों की दृष्टि से उन्होंने इस विस्तृत प्रश्न का विनिश्चय करना आवश्यक नहीं समझा कि क्या "अधिनियम" के अधीन गठित किसी अधिकरण को कोई अन्तरिम अनुतोष मंजूर करने की शक्ति है। अपीलार्थी उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिलिखित इस निष्कर्ष के आधार पर सफल होने के लिए हकदार हुए कि सि. प्र. अ. सं. 4,5 और 9/90 में उनके द्वारा प्रार्थित अनुतोष केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए निर्देश के अन्तर्गत आते हैं। अपने निर्णय में न्या. कासलीवाल ने इस बात का भी उल्लेख किया कि बहस के दौरान कर्नाटक राज्य की ओर से यह निवेदन किया गया था कि वे अधिकरण के समक्ष गुणागुण के आधार पर सि. प्र. अर्जियों में कार्यवाही करने के लिए इस निबंधन पर सहमत थे कि सभी पक्षकार राज्य इस बात से सहमत हों कि जल विवाद से उद्भूत होने वाले या उनसे संबद्ध या संगत सभी प्रश्नों का गुणागुण के आधार पर अधिकरण द्वारा अवधारण किया जाएगा। न्या. कासलीवाल ने यह मत व्यक्त किया कि उपरोक्त निबंधनों से तमिलनाडु राज्य सहमत नहीं था, अतः वह अपीलों का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय कर रहे थे। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, न्या. पुंछी न्या. कासलीवाल से सहमत थे। अपने पृथक निर्णय में न्या. सहाय ने इस बात से सहमत होते हुए कि अपीलों को मंजूर किया जाना चाहिए, अन्य बातों के साथ-साथ यह मत व्यक्त किया कि उनके कतिपय विवादों के बारे में असहमति थी जिनके अंतर्गत तारीख 6 जुलाई, 1986 के पत्र का अर्थान्वयन भी सम्मिलित है। उन्होंने उन पर कोई मत व्यक्त करना उचित नहीं समझा, क्योंकि न्या. सहाय के अनुसार कर्नाटक और केरल राज्य गुणागुण के आधार पर अंतरिम अनुतोष के लिए आवेदनों के अवधारण के लिए सहमत थे।

उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विनिश्चय दिए जाने के पश्चात् इन सि. प्र. अर्जियों को पुनः हमारे समक्ष रखा गया था। तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र, दोनों ने अपनी-अपनी सि. प्र. अर्जी सं. 4 और 9/90 तथा 5/90 के संशोधन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उनमें अतिरिक्त प्रार्थनाओं को सम्मिलित करने के लिए आवेदन फाइल किए थे। अपने संशोधन आवेदन में तमिलनाडु राज्य ने अभिलेख में कुछ अतिरिक्त तथ्य भी प्रस्तुत किए। पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् हमने सि. प्र. अर्जी सं. 4, 9 और 5/90 के संशोधन के लिए उक्त

प्रार्थनाएं मंजूर कर लीं। तदुपरि, कर्नाटक राज्य ने शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अनुपूरक आक्षेप फाइल किए। तमिलनाडु राज्य ने भी तारीख 27 मई, 1991 के उक्त अनुपूरक आक्षेपों का प्रत्युत्तर फाइल किया।

हम कर्नाटक राज्य की ओर से हाजिर होने वाले ज्येष्ठ काउंसेल श्री एफ. एस. नारीमन द्वारा उठाए गए इन सि. प्र. अर्जियों के चलने के बारे में आक्षेपों का कोई प्रतिवाद करने के लिए तत्पर नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने गुणागुण के आधार पर इन सि. प्र. अर्जियों का विनिश्चय करने के लिए अधिकरण को निदेशित कर दिया है। तदनुसार, कर्नाटक राज्य इस वाद को चलाए जाने के इस प्रश्न को अब नहीं उठा सकता। उच्चतम न्यायालय का उक्त निदेश पक्षकारों और अधिकरण पर आबद्धकर है। तदनुसार,

इस प्रश्न पर कि क्या इस अधिकरण को अन्तर्निहित शक्तियां प्राप्त हैं और इस बारे में कि क्या वह अन्तरिम अनुतोष मंजूर कर सकता है, दोनों पक्षकारों द्वारा उद्धृत विभिन्न प्रमाणों पर दृष्टिपात करना हमारे लिए अनावश्यक है। हम इस बात का पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि न्या. कासलीवाल ने जिनसे न्या. पुंछी सहमत थे, स्पष्ट रूप से या अभिनिर्धारित किया था कि अंतरिम अनुतोष की मंजूरी के लिए तमिलनाडु राज्य की प्रार्थना इस अधिकरण को किए गए तारीख 2 जून, 1990 के निर्देश के अन्तर्गत आती है।

हम तमिलनाडु राज्य और पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र द्वारा क्रमशः किए गए तुरंत अनुतोषों के लिए अर्जियों के गुणागुण पर विचार करेंगे ।

1990 की सि.प्र.अर्जी संख्या 4 में तमिलनाडु राज्य ने कावेरी नदी के जल से "जहां 31 मई, 1972 को था" अधिक परिबद्ध करने या उसका उपयोग न करने के लिए कर्नाटक राज्य को निर्देश देने के लिए प्रार्थना की थी जैसाकि द्रोणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय सिचाई और विद्युत मंत्री द्वारा सहमति हुई थी। तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु सरकार की सहमति के बिना किसी नई परियोजना, बांध, जलाशय, नहर आदि को अपने साथ में लेने या उसके संबंध में कोई कार्यवाही करने से कर्नाटक राज्य को अवरुद्ध करने के लिए प्रार्थना की थी । तमिलनाडु राज्य ने अपने भण्डारणों और जलाशयों से जल को समयानसार और पर्याप्त रूप से ऐसी रीति में छोड़ने के लिए कर्नाटक राज्य को निर्देश देने के लिए कोई अतिरिक्त प्रार्थना नहीं की थी जिससे साप्ताहिक आधार पर तमिलनाडु के मेटूर जलाशय में जल का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके जैसा कि कथन [संशोधन अर्जी के उपाबंध 1] में वर्णाया गया है ।

अभिवचन पूर्ण नही हुए हैं, पक्षकारों ने अभी तक अभिलेख में अपने सभी दस्तावेज और पत्रादि प्रस्तुत नहीं किए हैं। अतः हम तत्कालीन मैसूर रियासत और तत्कालीन मद्रास राज्य के बीच उस समय के मैसूर राज्य से होकर बहने वाली तेरह बड़ी नदियों पर जिसके अंतर्गत कावेरी और उसकी पांच सहायक नदियों अर्थात हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुप्रावथी और यागाची हैं, सिचाई जलाशयों की बाबत 1892 के करार के निर्णय की प्रस्थापना नहीं करते हैं । इसी प्रकार के कारणों से, हम तत्कालीन मैसूर और तत्कालीन मद्रास सरकारों के बीच तारीख 18 फरवरी , 1924 के उस करार के पैरा में दोनों विवादकारी पक्षकारों के निवेदनों की परीक्षा करने से विरत रहते हैं जिसके अधीन मैसूर सरकार, अनुबंधित विनिर्देशों के अनुसार कनाम-बाडी पर जो अब कृष्णराजसागर के नाम से ज्ञात है, कावेरी नदी के चारों ओर उस पर किसी बांध या जलाशय का निर्माण करने के लिए हकदार हुई थी। उक्त जलाशय से जल का बहाव उक्त करार के उपाबंध 1 में उपवर्णित पूर्णरूपेण नियमों और विनियमों के अनुसार होना था। 1924 के करार का एक खंड यह था कि मैसूर सरकार, नियमों और विनियमों के अधीन नियत सिचाई क्षेत्र के अतिरिक्त 1,10,000 एकड़ पर नियत सीमा तक कावेरी और इसकी सहायक नदियों के अधीन मैसूर में सिचाई का और विस्तार करने के लिए स्वतंत्र थी। करार के खंड (xiv) के अधीन मद्रास सरकार, मद्रास में भवानी , अमरावती या नोयिल नदियों पर किसी नए भंडारण जलाशय का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र थी और मैसूर सरकार उक्त करार के खंड (vii) में उपवर्णित जलाशयों के अतिरिक्त मद्रास में नए जलाशय के साठ प्रतिशत से अनधिक भंडारण जलाशय के रूप में निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होगी । 1924 के करार के खंड (xi) में यह उपबंध है कि खंड (iv) से (viii) में परिसीमाओं और व्यवस्थाओं पर करार के निष्पादन से पचास वर्ष की समाप्ति पर पुनर्विचार किया जाएगा । हमारे समक्ष जो पक्षकार हैं उनमें इस खंड (xi) की परिधि के बारे में अलग-अलग मत थे । 1924 के करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पचास वर्षों की समाप्ति के ठीक पूर्व 29 मई, 1972 को नई दिल्ली में मैसूर, तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों में विचार-विमर्श हुआ था । केंद्रीय सिचाई और विद्युत मंत्री भी वहां उपस्थित थे । "मुख्यमंत्रियों के बीच जो विचार-विमर्श हुआ था उससे तीन प्रश्नों पर आम सहमति बनी जैसा कि पैरा 2 में है" । पैरा 22 के अधीन केंद्र काबेरी जल से संबंधित सभी संबद्ध आंकड़े एकत्रित करने के लिए तथ्यों का पता लगाने वाली समिति नियुक्त करेगी । पैरा 2.3 यह उपबंधित करता है कि आंकड़ों का उपयोग करके संबंधित राज्यों के लिए जल के सहमत रूप में आबंटन पर पहुंचने के लिए तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच विचार-विमर्श होगा । पैरा 3 में यह अभिलिखित है "केंद्रीय सरकार छह मास के भीतर ऐसे समझौते पर पहुंचने में सहायता करेगी और इस बीच कोई राज्य कावेरी जल को परिबद्ध करके या उसका उपयोग करके ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे इस समस्या को, जैसी कि वह इस समय है, हल करना कठिन हो जाए ।" तथ्यों का पता लगाने वाली समिति का गठन किया गया था

और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी । किन्तु राज्यों के बीच अपने-अपने राज्य के लिए जल के आबंटन के संबंध में कोई अंतिम करार नहीं हुआ था ।

जब हम इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि क्या कोई आपात आदेश पारित किया जाना चाहिए हमारा मुख्य विचार जहां तक संभव हो, अंतिम न्यायनिर्णयन न होने तक पक्षकारों के अधिकार सुरक्षित रखना और यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि एक पक्षकार की एकपक्षीय कार्यवाही से अन्तिम आदेश पारित करते समय दूसरे पक्षकार पर समुचित अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । हमें पक्षकारों को ऐसा कोई कार्य करने से रोकने के लिए भी प्रयास करना चाहिए जिससे अधिकरण द्वारा इस अंतर्राज्यिक नदी के जल के उचित और समान वितरण के सिद्धांत के अनुरूप अंतिम आदेश करने में अड़चन पड़ सकती हो ।

निर्विवाद रूप से, कावेरी नदी एक अंतर्राज्यिक नदी है । इसलिए तीन राज्य और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र उक्त नदी के तट पर होने के कारण उक्त नदी के जल के युक्तियुक्त और फायदाप्रद रीति में छोड़े जाने के हकदार हैं । ए.एच. गैरैटमन, आर.डी. हैटन, सी.जे. आल्मस्टेड द्वारा संपादित पुस्तक "लॉ आफ इंटरनेशनल ड्रेनेज बैसिस" के पृष्ठ 63 में यह उल्लिखित है कि अधिकार की समानता सह-तटवर्ती राज्य को जल के समान वितरण का अधिकार नहीं दे देती । बल्कि समानता का अधिकार प्रत्येक तटवर्ती राज्य का सह-तटवर्ती राज्यों के तत्स्थानी अधिकार के संगत और ऐसी आवश्यकताओं से असंबद्ध तथ्यों को विचार में लिए बिना, उसकी आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर जल का समान वितरण है । इस प्रक्रम पर प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त संभावित मात्रा तक किसी प्रकार की जाए जिससे कि अन्य पक्षकारों को कम से कम क्षति हो, यह अवधारित करने के लिए यह सम्भव और युक्तियुक्त नहीं है । इस प्रक्रम पर हम इस प्रश्न के बारे में भी विचार करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि क्या तमिलनाडु राज्य या कर्नाटक राज्य द्वारा कावेरी नदी के जल का वर्तमान उपयोग सर्वाधिक लाभदायक उपयोग है जिसके लिए जल का उपयोग किया जा सकता है । समुचित प्रक्रम पर और समुचित रीति में जल का समान उपयोग करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य की विधिसम्मत आर्थिक और सामाजिक आवश्यकता पर विचार करना आवश्यक हो सकता है "ला आफ इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिस" के विद्वान सम्पादकों ने पृष्ठ 64 पर यह मत व्यक्त किया है कि बहुसंख्यक बातों की जांच की जानी चाहिए । जबकि कई बातें सुसंगत हो सकती हैं किंतु सब का समान महत्व नहीं है । विद्यमान उपयोग विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण हैं और उन्हें साधारणतया अधिक महत्व दिया जाना चाहिए । विद्वान संपादकों द्वारा इस तथ्य पर दिए गए और मतों के प्रति भी हम सजग हैं कि विद्यमान उपयोग का मामला अत्याधिक विवादास्पद है। ये प्रश्न उस समय हमारे विचारार्थ पैदा हो सकते हैं जब हम "निर्देश" का अंतिम रूप से निपटारा करें । इस अंतरवर्ती प्रक्रम पर उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो इस प्रकार की सूची में अंतरिम अनुतोष मंजूर करने या उससे इंकार करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रार्थनाओं की परीक्षा करना न्याय के उद्देश्यों से और अधिक संगतपूर्ण होगा । हम इससे पूर्व यह उल्लेख कर चुके हैं कि वर्तमान स्थिति में सारवान रूप से परिवर्तन के द्वारा अंतिम न्यायनिर्णयन लंबित रहने तक किसी भी पक्षकार को किसी अन्य पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए या विधि के अनुसार अपने अंतिम आदेश करने से इस अधिकरण को अवरुद्ध करने और रोकने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए ।

सी एम पी सं. 4/90 में तमिलनाडु राज्य की ओर से किए गए अभिकथन का सार यह है कि कर्नाटक से बहने वाली कावेरी की सहायक नदियों पर बनाए गए जलाशयों में अधिक और अधिकतम मात्रा में जल को इकट्ठा करने के कारण तमिलनाडु, के मैटूर बांध में पानी का अन्तः प्रवाह वर्ष प्रति वर्ष कम होता गया है । इस प्रक्रम पर, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि 29 मई, 1972 को केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री की उपस्थिति में तब के मैसूर, तमिलनाडु और केरल राज्यों के मुख्य मंत्रियों की मीटिंग में पाई गई सम्मति के अभिलेखन के समय के आंकड़ों के आधार पर मैटूर बांध में जल का अन्तः प्रवाह नियत करना समुचित नहीं होगा । 29 मई, 1972 की उक्त सम्मति को अभिलिखित किए हुए अट्ठारह से अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और विभिन्न पश्चातवर्ती घटनाएं भी जिसमें अतिरिक्त बांध और जलाशयों का निर्माण और अन्य सिंचाई सुविधाएं हैं घटित हो चुकी हैं । हम इस प्रक्रम पर इन जलाशयों, बांधों, नहरों आदि के निर्माण की न्यायोचितता या वैधानिकता की जांच की प्रस्थापना नहीं करते हैं । उक्त मामले यदि समुचित प्रक्रम पर आवश्यक समझे जाएं, देखे जा सकते हैं । इस मामले में, यह न्याय के अनुसार होगा कि ठीक पूर्व के कुछ सामान्य वर्षों का औसत निकाल कर मैटूर बांध में वार्षिक पानी का छोड़ा जाना नियत किया जाए ।

यह इंगित करना संगत है कि 29 मई, 1972 को अभिलिखित की गई मैसूर, तमिलनाडु और केरल राज्यों के मुख्य मंत्रियों की मीटिंग की कार्यवाही के पश्चात् कावेरी नदी में पानी के कुल बहाव का प्राक्कलन और विशेष रूप से कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य द्वारा उपयोग किए गए अंशों का विनिर्दिष्ट करने के लिए एक से अधिक प्रयास किए गए हैं । तथ्यों का पता लगाने वाली समिति और उसके पश्चात् श्री सी. सी. पटेल की अध्यक्षता में अध्ययन दल द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की सत्यता इसमें इसके पश्चात् हमारे विचार के लिए आएगी । अतः इस प्रक्रम पर इन रिपोर्टों पर हम विचार की प्रास्थापना नहीं करते हैं । हमारा ध्यान उन प्रारूप अनुबंधों पर भी

दिखाया गया है जो 1974 और 1976 में तैयार किए गए थे परन्तु प्रतिवाद करने वाले राज्यों ने औपचारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किए थे। हम केवल यह उपदर्शित करना चाहते हैं कि राज्यों और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित किए जाने वाले पानी का अंश अवधारण करने के लिए जो विगत में प्रयास किए गए हैं वे निष्फल रहे हैं और वे अधिकरण के अधीन अधिनिर्णयन के लिए अभी भी हैं। हम इसका उल्लेख कर चुके हैं कि हम इस प्रक्रम पर सुविधा की दृष्टि और विद्यमान उपयोग के अनुरक्षण को ध्यान में रखते हुए मार्ग दर्शित होंगे जिससे कि पक्षकारों के अधिकारों को अंतिम न्यायनिर्णयन तक परिरक्षित किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए तमिलनाडु के मैटूर बांध के जलाशयों में कावेरी नदी के जल का वार्षिक प्रवाह का औसत उचित आधार हो सकता है। हम इस तथ्य से भी असतर्क नहीं हैं कि कर्नाटक के कृष्णा राज्य सागर और काबिनी बांधों से जल छोड़े जाने के साथ-साथ मध्यवर्ती क्षेत्रों में भी अभी कुछ जल मैटूर बांध में जाता है। उपरोक्त तथ्य तमिलनाडु की प्रार्थना को पूर्णतया अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि बांध में उक्त क्षेत्र का अभिदाय पर्याप्त बड़ा नहीं है। हमारा यह मत है कि कर्नाटक द्वारा उतना पानी छोड़ा जाना चाहिए जो आसन्न पूर्व के वर्षों में असाधारण अच्छे वर्ष और असाधारण बुरे वर्षों को अपवर्जित करते हुए प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए नियत किया जाएगा।

तमिलनाडु ने 10 वर्ष की अवधि अर्थात 1980–81 से 1989–90 तक के मैटूर बांध में अन्तःप्रवाह जल के हमारे निम्नलिखित आकड़े प्रस्तुत किए है :—

	टी एम सी
1980-81	394.01
1981-82	403.20
1982-83	173.09
1983-84	230.37
1984-85	284.36
1985-86	158.28
1986-87	187.36
1987-88	103.90
1988-89	181.37
1989-90	175.64

इन आकड़ों पर विचार करते हुए हमने यह तय किया है कि वर्ष 1980–81 और 1981-82 के आकड़ों को निकाल दिया जाए जो कि पक्षकारों द्वारा असाधारण अच्छे वर्ष के रूप में वर्णित किए गए थे हमने वर्ष 1985-86, 1987-88 के आकड़ों को भी विचार में नहीं लिया है जोकि बुरे वर्ष वर्गीकृत किए गए थे। बाकी छह वर्षों का औसत वार्षिक प्रवाह 205.3 टी एम सी आता है जिसे 205 टी एम सी पूर्णांकित किया जा सकता है।

पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र का कारईकल क्षेत्र कावेरी डेल्टा के अंतिम छोर पर है। हमारे समक्ष पानी की अत्यधिक कमी के कारण इस क्षेत्र द्वारा भुगती गई दुर्गति के बारे में निवेदन किया गया पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र ने हमारे समक्ष सिचाई और जल प्रदाय आदि के लिए 9.355 टी एम सी जल का दावा किया है। हमारे दृष्टिकोण में इन आपातिक याचिकाओं पर आदेश देते समय पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र की कछ अतिरिक्त मात्रा में जल छोड़े जाने की प्रार्थना पर हमें विचार करना होगा। हम न्याय-हित में तमिलनाडु द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के लिए 6 टी एम सी जल छोड़ने का निर्देश देने की प्रस्थापना करते हैं।

तमिलनाडु की मोटे तौर पर शिकायत यह थी कि न केवल कर्नाटक से मैटूर बांध को पानी की कुल मात्रा कम और कम होती जा रही है अपितु फसलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशिष्ट रूप से तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा के लिए जल प्रदाय समय पर नहीं दिया गया यह निदेश देना उचित होगा कि वार्षिक निस्तार जून से मई तक सप्ताह दर सप्ताह नियमित रूप से किया जाए।

केरल राज्य ने किसी अंतरिम आदेश के लिए आवेदन नहीं किया है। अतः यह आदेश कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के निस्तार और साम्यिक वितरण के बारे में केरल राज्य के दावे और प्रतिविरोध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। हम पुनः स्पष्ट करते हैं कि आज दिया गया अंतरिम आदेश इस न्यायाधिकरण को निर्देशित विवाद के बारे में पक्षकारों के अधिकारों और प्रतिविरोधों का अंतिम अधिनिर्णयन नहीं है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम कर्नाटक राज्य को निर्देश देते हैं कि वह कर्नाटक में अपने जलाशयों से यह सुनिश्चित करते हुए पानी छोड़े कि तमिलनाडु के मैटूर जलाशय में जून से मई एक वर्ष में 205 टीएमसी जल उपलब्ध हो सके। इस वर्ष यह आदेश 1 जुलाई, 1991 से प्रभावशील होगा। हम यह और निर्देश देते हैं कि कर्नाटक राज्य पानी का छोड़ा जाना निम्न प्रकार विनियमित करेगा :

जून—10.16 टी एम सी
जुलाई—42.76 टी एम सी
अगस्त—54.72 टी एम सी
सितम्बर—29.36 टी एम सी
अक्तूबर—30.17 टी एम सी
नवम्बर—16.05 टी एम सी
दिसम्बर—10.37 टी एम सी
जनवरी—2.51 टी एम सी
फरवरी—2.17 टी एम सी
मार्च —2.40 टी एम सी
अप्रैल— 2.32 माटी एम सी
मई —2.01 टी एम सी

किसी विशिष्ट माह की बाबत पानी चार सप्ताह में चार बराबर किस्तों में छोड़ा जाएगा यदि किसी विशिष्ट

सप्ताह में अपेक्षित मात्रा में पानी का छोड़ना संभव न हो तो उक्त कमी पश्चातवर्ती सप्ताह में पूरी की जाएगी। पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के कराईकल क्षेत्र के लिए 6 टी एम सी पानी तमिलनाडु राज्य द्वारा विनियमित रीति से परिदत्त किया जाएगा।

हम यह और निर्देश देते है कि कर्नाटक राज्य कावेरी नदी के पानी से सिंचाई का क्षेत्र विद्यमान 11.2 लाख एकड़ से अधिक नहीं बढ़ाएगा जैसा कि उनके संशोधित सी एम पी सं. 4/90 के तारीख 22 मई, 1991 के अनुपूरक कथन के पृष्ठ 103 पर परिशिष्ट के-V, के स्तम्भ 13 में वर्णित है।

यह आदेश न्यायाधिकरण को विनिर्दिष्ट विवाद के अंतिम न्यायनिर्णयन तक प्रभावशील रहेगा। सी एम पी सं. 4 और 5/90 का उपरोक्त निबंधनों के अनुसार निराकरण किया जाता है।

सी एम पी सं. 4/90 का निराकरण लम्बित रहने अनुतोष प्राप्त करने हेतु सी एम पी सं. 9/90 और शेष नहीं है तथा इस प्रकार निपटान की गयी।

चित्ततोष मुखर्जी, अध्यक्ष
एम. डी. अग्रवाल, सदस्य
एन. एस राव, सदस्य

नई दिल्ली
जून 25 1991

[फा. सं. 55/9/91 बी एम.]
माधव चिनले, सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, 10th December, 1991

S.O. 840(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred upon it by section 4 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), had constituted by notification No. S.O. 437(E), dated the 2nd June, 1990, the Cauvery Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as "the Tribunal") to adjudicate upon the water dispute regarding the inter-State river Cauvery;

And whereas, the Tribunal has given an order on 25th June, 1991 in Civil Miscellaneous Petition Nos. 4, 5 and 9 of 1990 (hereinafter referred as "the Order") and forwarded the same to the Central Government for further necessary action;

And whereas, upon the consideration of the said order, the President of India made a reference to the Supreme Court of India on 27th July, 1991 under clause (1) of article 143 of the Constitution of India for consideration and report among others on—

(i) whether the Order of the Tribunal constitutes a report and a decision within the meaning of section 5(2) of the Act; and

(ii) whether the Order of the Tribunal is required to be published by the Central Government in order to make it effective;

And whereas, the Supreme Court has given its opinion on 22nd November, 1991, among others on the above questions that:

"(i) the Order of the Tribunal dated June 25, 1991 constitutes report and decision within the meaning of section 5 (2) of the Inter-State Water Disputes Act, 1956; and

(ii) the said Order is, therefore, required to be published by the Central Government in the official Gazette under section 6 of the Act in order to make it effective";

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, the Central Government hereby publishes the aforesaid Order of the Tribunal.

ORDER OF CAUVERY WATER DISPUTES TRIBUNAL

IN

CIVIL MISCELLANEOUS PETITION NOS. 4 5 AND 9 OF 1990 IN THE MATTER OF

(Water dispute amongst the Government of Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Union Territory of Pondicherry, viz, dispute regarding the inter-State river Cauvery and the river valley thereof)

On 5th January, 1991, we had dismissed the CMP Nos. 4 and 9 1990 filed by the State of Tamil Nadu and CMP No. 5 of 1990, filed by the Union Territory of Pondicherry, inter alia upon the view that the Central Government had as yet made no reference to the Tribunal for adjudication of the interim reliefs prayed in the said CMPs filed by the State of Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry, respectively and hence the said petitions for interim reliefs were not maintainable.

Being aggrieved by our said Order, the State of Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry had respectively filed Civil Appeal Nos. 303-304 of 1991 and Civil Appeal No. 2036 of 1991, before the Supreme Court of India. On 26th April, 1991, the Bench consisting of Kasliwal, Punchhi and Sahai, JJ. allowed the said appeals, set aside our Order dated 5th January, 1991, and directed that the said CMP Nos. 4, 5 and 9|90, be decided on merits. Kasliwal, J. with Punchhi, J. agreed inter-alia held that the requests for the expeditious action contained in a passage of the letter dated 6-7-1986 of the Government of Tamil Nadu and which was quoted by the learned Judge showed that the State of Tamil Nadu "was claiming for immediate relief as year after year realisation at Mettur was falling etc." Therefore, the Tribunal was clearly wrong in holding that the Central Government had not made any reference for any interim relief. The reliefs prayed by the appellants in CMP Nos. 4, 5 and 9|90, clearly came within the purview of the disputes referred by the Central Govern-

ment under section 5 of the Act (Inter State Water Disputes Act, 1956). Kasliwal, J. had further observed that in view of the above circumstances, he did not consider it necessary to decide the larger question whether a Tribunal constituted under the 'Act' has any power to grant any interim relief. The appellants became entitled to succeed on the basis of the finding recorded by the Supreme Court that the reliefs prayed by them in their CMP Nos. 4, 5, & 9|90 were covered in the reference made by the Central Government. In his judgement, Kasliwal, J. also noted that at the fag end of the arguments it was submitted on behalf of the State of Karnataka that they were agreeable to proceed with the CMPs on merits before the Tribunal on the terms that all party States agreed that all questions arising out of or connected with or relevant to the water dispute be determined by the Tribunal on merits. Kasliwal, J. observed that the above terms were not agreed to by the State of Tamil Nadu as such he was deciding the appeals on merits. As already mentioned Punchhi, J. agreed with Kasliwal, J. In his separate judgement Sahai, J. while concurring that the appeals should be allowed, observed, inter-alia that he had reservations about certain issues including the construction of the letter dated 6th July, 1986. He did not prefer to express any opinion on them since according to Sahai, J. the States of Karnataka and Kerala were agreeable to the determination of the applications for interim relief on merits.

After the Supreme Court rendered the above decision, the CMPs were again placed before us. Both the State of Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry filed applications for amendment of their respective CMPs Nos. 4 & 9|90 and 5|90 inter alia to incorporate additional prayers therin. In its amendment application the State of Tamil Nadu also placed on record certain additional facts. After hearing the parties, we allowed the said prayers for amendment of CMP Nos. 4, 9 & 5|90. Thereupon, the State of Karnataka filed supplementary objections, supported by affidavit. The State of Tamil Nadu also filed rejoinder to the said supplementary objections dated 27th May, 1991.

We are not prepared to give any countenance to the objections as to the maintainability of these CMPs raised by Mr. F. S. Nariman, Senior Counsel appearing on behalf of the State of Karnataka. The Supreme Court has directed the Tribunal to decide these CMPs on merits. Accordingly, it is no longer open to the State of Karnataka to urge this point of maintainability. The said directions of the Supreme Court is binding upon the parties and the Tribunal. It is accordingly, unnecessary for us to notice the various authorities cited by both sides on the question as to whether this Tribunal possesses inherent powers and as to whether it can grant interim reliefs. We have already mentioned that Kasliwal, J., with whom Punchhi, J. agreed, categorically held that Tamil Nadu's prayer for grant of interim relief was covered by the reference dated 2nd June 1990, made to this Tribunal.

We proceed to consider the merits of the petitions for emergent reliefs respectively made by the State of Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry.

In its CMP No. 4 of 1990, the State of Tamil Nadu had initially prayed for directing the State of Karnataka not to impound and utilise waters of Cauvery river beyond "what it was on 31st May, 1972" as agreed by the Chief Ministers of basin states and the Union Minister for Irrigation and Power. The State of Tamil Nadu also had prayed for restraining the State of Karnataka from undertaking or proceeding with any new projects, dams, reservoirs, canals, etc. without the consent of the State of Tamil Nadu. The State of Tamil Nadu has now made an additional prayer for directing the State of Karnataka to make timely and adequate releases of waters from its storages and reservoirs in such a manner as to ensure availability of inflow into the Mettur reservoir of Tamil Nadu on week to week basis as reflected in the statement (Annexure-I to the amendment petition).

Pleadings are not complete, parties have not yet placed on record all their documents and papers etc. Therefore, we propose not to make any pronouncement about the aggreement of 1892 between the then Princely State of Mysore and the then State of Madras regarding irrigation reservoirs over thirteen major rivers flowing through the then State of Mysore, including the Cauvery and its five tributaries viz. Hemavathy, Laxman Thirtha, Kabini, Suvarnavathi and Yagachi. For the identical reasons, we referain from examining the submissions of the two sets of contending parties about the agreement between the then Mysore and the then Madras Governments dated 18th February, 1924, under which Mysore Government became entitled to construct a dam and a reservoir across and over the river Cauvery at Kanambadi, now know as Krishnarajasagar, according to the stipulated specifications. The discharge through and from the said reservoir was to be strictly in accordance with the Rules and Regulations set forth in Annexure-I to the said agreement. One of the clauses of the agreement of 1924 was that Mysore Government would be at liberty to carry out future extensions of irrigation in Mysore under the Cauvery and its tributaries to an extent fixed at 1,10,000 acres in addition to the area of irrigation fixed under the Rules and Regulations. The Madras Government under the clause (xiv) of the agreement was at liberty to construct on the Bhavani, Amravathi or Novil rivers in Madras any new storage reservoir and Mysore Government would be at liberty to construct as an offset storage reservoir in addition to the reservoirs mentioned in clause (vii) of the said agreement not exceeding 60% of the new reservoir in Madras. Clause (xi) of the agreement of 1924 provided that the limitations and arrangements in clauses (iv) to (viii) shall be open to reconsideration at the expiry of fifty years from the execution of the agreement. The parties before us were at variance about the scope of this clause (xi). Shortly before the expiry of fifty years from the date of the signing of the agreement of 1924, discussions were held on 29th May, 1972, at New Delhi between the Chief Ministers of Mysore, Tamil Nadu and Kerala. The Union Minister of Irrigation and Power was also present. "The discussions amongst Chief Ministers revealed general consensus on the three points as in para 2". Under the paragraph

2.2, the centre was to appoint a fact finding committee to collect all the connected data pertaining to the Cauvery waters. Paragraph 2.3 provided that by making use of the data, discussions will be held between the Chief Ministers of the three States to arrive at an agreed allocaion of waters for the respective States. The paragraph 3 recorded "the Union Government will assist in arriving at such a settlement in six months, and in the meanwhile no State will take any steps to make the solution of the problem difficult either by impounding or by utilising water of Cauvery beyond what it is at present". The Fact Finding Committee was constituted, and it had submitted its reports. But no final agreement was arrived at between the States regarding the allocation of waters for the respective States.

When we are deliberating whether any emergent, order ought to be passed, our prime consideration ought to preserve, as far as possible, pending final adjudication the rights of the parties and also to ensure that by unilateral action of one party other party is not prejudiced from getting appropriate relief at the time of the passing of the final orders. We ought to also endeavour to prevent the commission of any act by the parties which might impede the Tribunal from making final orders in conformity with the principles of fair and equitable distribution of the waters of this inter-State river.

Undisoutedly, the Cauvery river is an inter-State river. Therefore, the three States and the Union Territory of Pondicherry being riparian to the said river are entitled to the release of waters of the said river in a reasonable and beneficial manner. In the "Law of International Drainage Basins" edited by A. H. Garretson, R. D. Hyton & C. J. Olmstead, at page 63 it has been pointed out that equality of right does not give a coriparian the right to an equal division of the waters. Rather, equality of right is the equal right of each coriparian State to a division of the waters on the basis of its economical social needs consistent with corresponding rights of its coriparian States and excluding from consideration factors unrelated to such needs. At this stage it would be neither feasible nor reasonable to determine how to satisfy the need of the each State to the greatest extent possible with a minimum of detriment to others. We do not also propose at this stage to enter into the question whether the present use of water of the river Cauvery either by the State of Tamil Nadu or the State of Karnataka is the most beneficial use to which the water could be put to. At an appropriate stage and in the appropriate manner, it may be necessary to consider legitimate economic and social needs of each State for the purpose of making quitable utilisation of the waters. The learned editors of the "Law of International Drainage Basins" at page 64 has pointed out that the multitude of factors should be examined. "While many factors are relevant, all are not of equal weight. Existing uses are particularly significant and are generally entitled to great weight." We are not unmindful of the further observations made by the learned editors to the fact that the matter of existing use is most contravertial. These points may arise for our consideration at the time we finally dispose of the "Reference". At this interlocutory stage it would be more in consonance with the ends of justice to examine the prayers made by the State of Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry in the light of the considerations which are germane for granting or refusing interim reliefs in a lis of this kind. We have already mentioned herein before that pending final adjudication by materially altering the present position, no party should be allowed to cause prejudice to the other party or the obstruct and impede this Tribunal from making its final order in accordance with the law

The substance of the allegations made on behalf of the State of Tamil Nadu in CMP No. 4190 is that by reason of impounding greater and greater volume of water in the reservoirs constructed in the different tributaries of Cauvery flowing through Karnataka, the inflow of water into Mettur Dam of Tamil Nadu from year to year is being reduced. At this stage, however make it clear that it will not be appropriate to fix the inflow of water into Mettur Dam on the basis of the figures at the time or recording of consensus arrived at the meeting of Chief Ministers of the States of the then Mysore, Tamil Nadu and Kerala in the presence of Union Minister of Irrigation and Power, held on 29th May, 1972. More than eighteen years have elapsed since the recording of said cousensus of 29th May, 1972 and various subsequent events also, including construction of additional dams and reservoirs and other irrigation facilities, have taken place We do not propose to examine at this stage the legality or justifiability of erection of these reservoirs, dams, canals, etc The said matters may be gone into if found necessary at the appropriate stage. In this case it would be in accordance with justice to fix the annual releases into Mettur Dam by making average of the same for a number of normal years in the immediate past.

It is pertinent to point out that after the minutes of the meeting of the Chief Ministers of the States of Mysore, Tamil Nadu and Kerala were recorded on 29th May, 1972, more than one attempt were made to estimate the total flow of the water in the river Cauvery and also to specify the share of utilisation, particularly by the State of Karnataka and the State of Tamil Nadu. Since the correctness of the reports made by the Fact Finding Committee and thereafter by the Study Team under the Chairmanship of Sri C. C. Patel will hereinafter come up for our consideration, we propose not to deal with these reports at this stage. Our attention has also been drawn to the draft Agreements which were prepared in 1974 and 1976, but were not formally signed by the contesting States. We may only indicate that the attempts made in the past to determine the shares of waters to be allocated to the States and Union Territory of Pondicerry had been abortive, and the same still remain for adjudication by the Tribunal. We have already mentioned that at the present stage we would guided by consideration of balance of convenience and maintenance of the existing utilisation so that rights of the parties may be preserved till the final adjudication. For this purpose the average of the annual flow of the waters of the river Cauvery into the reservoir of the Mettur Dam in Tamil Nadu could serve as a reasonable basis. We are also not unmindful of the fact that besides

releases made from Krishnarajasagar and Kabini Dams of Karnataka, some water from the intermediate catchment area also flows down into the Mettur Dam. The said fact cannot be the ground for totally rejecting the prayer of the Tamil Nadu because the contribution of the said catchment area into the Mettur Dam is no large enough. We are of the view that there ought to be the release of waters by Karnataka which is to be fixed by having regard to the realisation made over a span of years in the proximate past after excluding abnormally good and abnormally bad years.

Tamil Nadu has furnished before us the following figures for the period of ten years, i.e. 1980-81 to 1989-90 of inflow of water into Mettur Dam.

	TMC
1980-81	394.01
1981-82	403.20
1982-83	173.09
1983-84	230.37
1984-85	284.36
1985-86	158.28
1986-87	187.36
1987-88	103.90
1988-89	181.37
1989-90	175.64

In considering these figures we have decided to exclude the figures for the years 1980-81 and 1981-82, which were described by parties as abnormally good years. We have also excluded from consideration the figures for the years 1985-86, 1987-88 which were classified to be bad years. The average annual flow of the remaining six years workout at 205.3 TMC, which may be rounded of to 205 TMC.

Karaikal region of Union Territory of Pondicherry is at the tail-end of Cauvery delta. Before us submisions were made about the plight suffered by this area because of utter dearth of water. The Union Territory of Pondicherry has claimed before us 9.355 TMC of water towards irrigation and water supply etc. In our view, while making order upon these emergent petitions we ought to take into consideration the prayer of the Union Territory of Pondicherry for release of some additional volume of water. We propose to direct for the ends of justice, release of 6 TMC of water by Tamil Nadu for Union Territory of Pondicherry.

The grievance of Tamil Nadu broadly was that not only the total volume of water from Karnataka for flowing down to Mettur Dam was becoming less and less but also the said releases were not being made timely to meet the needs of cultivation of crops, particularly in the Cauvery delta of Tamil Nadu. It would be fair to direct that annual releases be made in a regulated manner from week to week basis from June to May.

The State of Kerala has not applied for any interim order, therefore, this order is without prejudice to the claims and contentions of the State of Kerala about the equitable distribution and release of the waters of river Cauvery and its tributaries. We again make it clear that the interim orders passed today do not amount to final adjudication of the rights and contentions of the parties in regard to the dispute referred to this Tribunal.

In view of the above, we direct the State of Karnataka to release water from its reservoirs in Karnataka so as to ensure that 205 TMC of water is available in Tamil Nadu's Mettur Reservoir in a year from June to May. This year, the order will be effective from 1st of July, 1991. We further direct that the State of Karnataka shall regulate the release of water in the following manner :—

June 10.16 TMC	December 10.37 TMC
July 42.76 TMC	January 2.51 TMC
August 54.72 TMC	February 2.17 TMC
September 29.36 TMC	March 2.40 TMC
October 30.17 TMC	April 2.32 TMC
November 16.05 TMC	May 2.01 TMC

In respect of a particular month the releases are to be made in four equal instalments. If in a particular week, it is not possible to release the required quantum of water, the said deficit shall be made good in the subsequent week. Six TMC water for Karaikal region of the Union Territory of Pondicherry will be delivered by the State of Tamil Nadu in a regulated manner.

We further direct that the State of Karnataka shall not increase its area under irrigation by the Waters of the river Cauvery beyond existing 11.2 lac acres, as mentioned in their Annexure K-V, Column 13, at para 103 to the Supplementary Statement of Objections dated 22nd May, 1991, to the ammended CMP No. 4/90.

The above order will remain operative till the final adjudication of the dispute, referred to the Tribunal.

CMP No. 9/90 for granting relief pending disposal the above terms.

CMPNo. 9/90 for granting relief pending disposal of CMP No. 4/90 no longer survives, and stands disposed of accordingly.

Sd/-
CHITTATOSH MOOKERJEE, Chairman.
Sd/-
S.D. AGARWALA, Member.

New Delhi,
June 25, 1991.

Sd/-
N.S. RAO, Member.
[No. 55/9/91-BM]
M. A. CHITALE, Secy.

3224 GI/91

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991